रजिस्ट्री सं. डी० (डी० एन०)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 8, 1982/वैशाख 18, 1904
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, May 8, 1982/ VASAKHA18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

सा० का० नि० 417.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान मंत्री कार्यालय में बढ़ई और पालिशगर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री कार्यालय (बढ़ई और पालिशगर) भर्ती नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इससे/इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसी आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी; जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Attested 21/11/12
विशेष अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its Composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation	Deputation From the Grade of UDC with 2 years regular service in the Grade. (Period of Deputation-Ordinarily not exceeding three year).	Not Applicable	Not applicable

[No. A-12018/9/81—E.S. II]
C. N. RAMAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1982

सा० का० नि० 437.--केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है अर्थात:--

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि तृतीय (संशोधन) स्कीम, 1982 है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 के उपपैरा (3) के उपपैरा (3) के खंण्ड (ख) में, मद (93) के पश्चात् निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:--

"(94) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 के पृष्ठ 1834 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 643 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 में विनिर्दिष्ट कुक्कुट पालन में लगे हुए स्थापनों के बारे में;

(95) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3, उपखण्ड (i) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 के पृष्ठ 1834 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 644 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1981 में विनिर्दिष्ट 'पशु खाद्य उद्योग' में लगे हुए स्थापनों के बारे में।"

[संख्या एस०-35016/1/80-पी०एफ2]
ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

टिप्पणी : का० आ० संख्या 1509 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 द्वारा निर्मित मुख्य योजना के पैरा 1 में बाद को निम्नलिखित संशोधित किये गये:—

क्रमांक	का० नि० आ०/सा० का० नि०	दिनांक
1	2	3
1.	का० नि० आ० 2035	28-10-1953
2.	का० नि० आ० 1567	4-7-1956
3.	का० नि० आ० 2027	3-9-1956
4.	का० नि० आ० 815	9-3-1957
5.	का० नि० आ० 1363	26-4-1957
6.	का० नि० आ० 2148	21-6-1957
7.	का० नि० आ० 3376	10-10-1957
8.	का० नि० आ० 3565	31-10-1957
9.	का० नि० आ० 3972	4-12-1957
10.	का० नि० आ० 488	4-2-1958
11.	सा० का० नि० 261	10-4-1958
12.	सा० का० नि० 583	8-5-1959
13.	सा० का० नि० 362	6-3-1970
14.	सा० का० नि० 718	17-6-1960
15.	सा० का० नि० 748	24-6-1960
16.	सा० का० नि० 1444	24-11-1960
17.	सा० का० नि० 1548	24-12-1960
18.	सा० का० नि० 680	5-5-1961
19.	सा० का० नि० 763	5-6-1961
20.	सा० का० नि० 992	24-7-1961
21.	सा० का० नि० 1033	8-8-1961
22.	सा० का० नि० 1456	29-11-1961
23.	सा० का० नि० 3087	20-12-1961
24.	सा० का० नि० 417	19-3-1962
25.	सा० का० नि० 460	3-4-1962
26.	सा० का० नि० 887	23-6-1962
27.	सा० का० नि० 1299	19-9-1962
28.	सा० का० नि० 1321	29-9-1962
29.	सा० का० नि० 1757	12-12-1962
30.	सा० का० नि० 504	18-3-1963
31.	सा० का० नि० 663	10-4-1964
32.	सा० का० नि० 666	15-4-1963
33.	सा० का० नि० 853	10-5-1963
34.	सा० का० नि० 1401	9-8-1963
35.	सा० का० नि० 1433	22-8-1963
36.	सा० का० नि० 1606	27-9-1963
37.	सा० का० नि० 1688	15-10-1963
38.	सा० का० नि० 1873	23-11-1963
39.	सा० का० नि० 1845	28-11-1963
40.	सा० का० नि० 1982	18-12-1963
41.	सा० का० नि० 68	4-1-1964
42.	सा० का० नि० 93	8-1-1964
43.	सा० का० नि० 127	20-1-1964
44.	सा० का० नि० 863	6-6-1964
45.	सा० का० नि० 864	6-6-1964

Attested. [signature] 21/11/12

1	2	3
46.	सा० का० नि० 1288	1-9-1964
47.	सा० का० नि० 1500	8-10-1964
48.	सा० का० नि० 1845	21-12-1964
49.	सा० का० नि० 71	1-1-1965.
50.	सा० का० नि० 106	2-1-1965
51.	सा० का० नि० 475	19-3-1965
52.	सा० का० नि० 823	1-6-1965
53.	सा० का० नि० 969	6-7-1965
54.	सा० का० नि० 997	15-7-1965
55.	सा० का० नि० 1241	18-8-1965
56.	सा० का० नि० 1837	9-12-1965
57.	सा० का० नि० 170	20-1-1966
58.	सा० का० नि० 997	17-6-1966
59.	सा० का० नि० 1187	21-7-1966
60.	सा० का० नि० 1412	12-9-1966
61.	सा० का० नि० 553	11-4-1967
62.	सा० का० नि० 1103	17-7-1967
63.	सा० का० नि० 1268	21-8-1967
64.	सा० का० नि० 1645	23-10-1967
65.	सा० का० नि० 1795	20-11-1967
66.	सा० का० नि० 1857	20-11-1968
67.	सा० का० नि० 1952	24-8-1968
68.	सा० का० नि० 2083	22-11-1968
69.	सा० का० नि० 3083	22-4-1969
70.	सा० का० नि० 1510	11-6-1969
71.	सा० का० नि० 1512	11-6-1969
72.	सा० का० नि० 14	23-12-1969
73.	सा० का० नि० 73	17-5-1971
74.	सा० का० नि० 263	7-2-1972
75.	सा० का० नि० 506	18-3-1972
76.	सा० का० नि० 1490	15-11-1972
77.	सा० का० नि० 1219	17-4-1973
78.	सा० का० नि० 1039	17-4-1973
79.	सा० का० नि० 843	19-7-1973
80.	सा० का० नि० 1249	2-11-1973
81.	सा० का० नि० 321	15-5-1974
82.	सा० का० नि० 1255	12-11-1974
83.	सा० का० नि० 1400	21-12-1974
84.	सा० का० नि० 1401	21-12-1974
85.	सा० का० नि० 268	26-12-1974
86.	सा० का० नि० 984	26-7-1975
87.	सा० का० नि० 1355	3-9-1976
88.	सा० का० नि० 305	19-2-1977
89.	सा० का० नि० 571	12-4-1977
90.	सा० का० नि० 677	23-5-1977
91.	सा० का० नि० 1523	12-12-1978
92.	सा० का० नि० 462	9-3-1979
93.	सा० का० नि० 982	13-7-1969
94.	सा० का० नि० 605	24-5-1980
95.	सा० का० नि० 592 (अ)	22-10-1980
96.	सा० का० नि० 614 (अ)	31-10-1980
97.	सा० का० नि० 662 (अ)	27-11-1980
98.	सा० का० नि० 642 (अ)	5-12-1981

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd April, 1982

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1982.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 1, in sub-paragraph (3), in clause (b), after item (xciii), the following items shall be added, namely :—

"(xciv) as respects establishments engaged in poultry farming specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 643(E), dated the 7th December, 1981 published at page 1834 in Part II, Section 3, sub-Section (i) of the Gazette of India Extra Ordinary dated 7th December, 1981;

(xcv) as respects the establishments engaged in Cattle Feed Industry specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour G.S.R. 644(E) dated the 7th December, 1981 published at page 1934 in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary dated the 7th December, 1981."

Note : The para 1 of the Principal Scheme framed vide S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 was subsequently amended by :—

S.No.	S.R.O./G.S.R. No.	Dated the
1.	S.R.O. 2035	28-10-1953
2.	S.R.O. 1567	4-7-1956
3.	S.R.O. 2027	3-9-1956
4.	S.R.O. 815	9-3-1957
5.	S.R.O. 1363	26-4-1957
6.	S.R.O. 2146	21-6-1957
7.	S.R.O. 3376	10-10-1957
8.	S.R.O. 3565	31-10-1957
9.	S.R.O. 3972	4-12-1957
10.	S.R.O. 488	4-2-1958
11.	G.S.R. 261	10-[illegible]-1958
12.	G.S.R. 583	8-[illegible]-1959
13.	G.S.R. 362	6-[illegible]-1960
14.	G.S.R. 718	17-6-1690
15.	G.S.R. 748	24-6-1960
16.	G.S.R. 1444	24-11-1960
17.	G.S.R. 1548	24-12-1960
18.	G.S.R. 680	5-5-1961
19.	G.S.R. 783	5-[illegible]-1961
20.	G.S.R. 992	2[illegible]-1961
21.	G.S.R. 1033	8-8-1961
22.	G.S.R. 1456	29-11-1961
23.	G.S.R. 3087	20-12-1961
24.	G.S.R. 417	19-3-1962
25.	G.S.R. 460	3-4-1962
26.	G.S.R. 887	23-6-1962

[No. S-35016/1/80-PF.III]

A. K. BHATTARHI, Under Secy.

Attested 21/11/12

S.No.	G.S.R. No.	Dated the
27.	G.S.R. 1299	19-9-1962
28.	G.S.R. 1321	27-9-1962
29.	G.S.R. 1757	12-12-162
30.	G.S.R. 504	18-3-1963
31.	G.S.R. 663	10-4-1963
32.	G.S.R. 666	15-4-1963
33.	G.S.R. 853	10-5-1963
34.	G.S.R. 1401	9-8-1963
35.	G.S.R. 1433	22-8-1963
36.	G.S.R. 1606	27-9-1963
37.	G.S.R. 1688	15-10-1963
38.	G.S.R. 1873	23-11-1963
39.	G.S.R. 1845	28-11-1963
40.	G.S.R. 9182	18-12-1963
41.	G.S.R. 68	4-1-1964
42.	G.S.R. 93	8-1-1946
43.	G.S.R. 127	20-1-1964
44.	G.S.R. 863	6-6-1964
45.	G.S.R. 864	6-6-1964
46.	G.S.R. 1288	1-9-1964
47.	G.S.R. 1500	8-10-1964
48.	G.S.R. 1845	21-12-1964
49.	G.S.R. 71	1-1-1965
50.	G.S.R. 106	2-1-1965
51.	G.S.R. 475	19-3-1965
52.	G.S.R. 823	1-6-1965
53.	G.S.R. 969	6-7-1965
54.	G.S.R. 997	15-7-1965
55.	G.S.R. 1241	18-8-1965
56.	G.S.R. 1837	9-12-1965
57.	G.S.R. 170	20-1-1966
58.	G.S.R. 997	17-6-1966
59.	G.S.R. 1187	21-7-1966
60.	G.S.R. 1412	12-9-1966
61.	G.S.R. 553	11-4-1967
62.	G.S.R. 1103	17-7-1967
63.	G.S.R. 1268	21-8-1967
64.	G.S.R. 1645	23-10-1967
65.	G.S.R. 1795	20-11-1967
66.	G.S.R. 1857	20-11-1967
67.	G.S.R. 1592	24-8-1968
68.	G.S.R. 2083	22-11-1968
69.	G.S.R. 1017	22-4-1969
70.	G.S.R. 1510	11-6-1969
71.	G.S.R. 1512	11-6-1969
72.	G.S.R. 14	23-12-1969
73.	G.S.R. 731	17-5-1971
74.	G.S.R. 263	7-2-1972
75.	G.S.R. 506	18-3-1972
76.	G.S.R. 1490	15-11-1972
77.	G.S.R. 1219	17-4-1973
78.	G.S.R. 1039	17-4-1973
79.	G.S.R. 843	19-7-1973
80.	G.S.R. 1249	2-11-1973
81.	G.S.R. 321	15-5-1974
82.	G.S.R. 1255	12-11-1974
83.	G.S.R. 1400	21-12-1974
84.	G.S.R. 1401	21-12-1974
85.	G.S.R. 268	26-12-1974
86.	G.S.R. 984	26-7-1975
87.	G.S.R. 1355	3-9-.976
88.	G.S.R. 305	19-2-1977
89.	G.S.R. 571	12-4-1977
90.	G.S.R. 677	23-5-1977
91.	G.S.R. 1523	12-12-1978
92.	G.S.R. 462	9-3-1979
93.	G.S.R. 982	13-7-1979
94.	G.S.R. 605	24-5-1980
95.	G.S.R. 592(E)	22-10-1980
96.	G.S.R. 914(E)	31-10-1980
97.	G.S.R. 662(E)	27-11-1980
98.	G.S.R. 642(E)	5-12-1981

Attested

21/11/12

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982